

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर्स— 9208008000

पत्रांक 17// / 12-1

बागेश्वर

दिनांक : 03/01/2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट मे पैठान दारसिंह खातीगाँव नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.5 किमी
मिलान मो० मार्ग प्रस्ताव संख्या (15682 / 2015)

सन्दर्भ:- Online EDS dated 10-08-2016.

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
1	Short narrative of the project in online Part I do not give adequate information.	Construction of Phaithan Darsingh Khatigun Natishera to Bantola Motor road (9.5 Km). Starting from Km 34 & 35 of BDDK motor road. Connecting villages of Phaithan Darsingh, Khatigun Natishera Teshil Kapkot, District Bageshwar (जिसे पार्ट 1 में ऑन लाईन भर दिया गया है)।
2	Authority letter is not issued for the applicant in Part I.	Due to transfer of Executive Engineer Er. Hrish Pangti applicant authority is changed, now new applicant authority is Er Krishna Kumar Tilara.(Attached authority letter part 1A-3).

3	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to villages Natishera and Bhantola is not provided with the FRA certificate.	VLC of Bhantola village is now provided and uploaded in Part I Natishera is basically a sub village/Tok of Horali therefore no need to provide VLC of Phaithan.
4	In the village wise break up the village Horali is not mentioned while it enlisted among the village to be benefited by the road. It is also not justified that only three villages are enlisted in the list to be benefited from the road and on the other hand only two village to be benefited from the road mentioned by CF in his recommendation in online Part II but the village wise break up gives details of four villages. The State Govt. may rectify the information in all segment and give correct detail for the same with proper justification if required.	Proposed road passes through four revenue villages, named Phaithan-Darsingh, Horali & Bantola. Now in village wise break up all these villages are enlisted of all four villages are benefited through this road.
5	The component wise break up does not show area marked for muck disposal and other component like bridge in online Part I. the State Govt. may upload/provide the correct detail in onine Part I.	Whole of the muck diaposal is carried out in non forest Nap land therefore it is not included in component wise break up and certificate of the same is attached and uploaded.
6	The State Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated Geo-referenced digital Map in google earth Map which is not acceptable. The State Govt. may provide/upload the correct Map showing Geo-Coordinates at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct	The revised new GIS software generated geo-referenced digital Map showing geo-coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300m, including all turns are uploaded in(part I C).

	revised Map in online Part I.	
7	The geo referenced digital Map of area proposed for CA uploaded is not acceptable for the purpose as provided without mentioning geo coordinates for all corners. The State Govt. may provide/upload GIS software generated digital map of the area proposed for CA providing geo-coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The google earth map will not accepted for the purpose.	The revised new soft copy of the geo referenced digital Map for the land proposed for CA has been submitted in google earth map(KML file) uploaded in (part I L).
8	The SOI toposheet map locating area proposed for CA is not uploaded in Part I. the Map uploaded in this column is Google earth map. The State Govt. may upload the correct file.	The revised new toposheet map uploaded in Part I.
9	Copy of map indicating location of alternative examined is not uploaded in the designated place in Part I.	Detail of alternative examined provided/uploaded in online Part I at designated column.
10	Justification of locating the project in forest land uploaded in Part I is not satisfactory. The State Govt. may upload revised justification in the designated column.	Revised justification is now uploaded.
11	125 trees per hectare does not account for 0.2 density. The State Govt may revise the density accordingly in online Part II.	Revised NPV certificate has been enclosed according to the density corrected in the Part I and Part II.
12	In the site inspection report by DFO is incomplete as the point 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5, are not answered by the DFO. The same may be rectified and	Corrected SIR report has been enclosed in online form A part II at the designated column.

	corrected SIR may upload in the designated place in online Part II.	
13	In the muck disposal plan it is not clear that the place identified for the disposal of muck during the construction is in forest area or in private land. If the area marked for muck dumping is in area which attracts provisions of FCA, 1980 then the State Govt. may clarify that whether this area included in the area proposed for diversion or not. If not then revised proposal after addition of this area my be submit to this office along with all necessary revised document/information.	Now all the muck disposal will be carried out in non forest Nap land. The previously shown locations which are situated in forest area are removed and whole of the muck is disposed of in Nap Land therefore, no need to revise the proposal certificate of the same is now uploaded and attached at designated place.

अतः प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,


 (एम०बी०सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर




प्रारूप-1

Mr. K.K.Tilara (**Executive Engineer**) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Phaithan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km)** of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Institution name/designation)

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०निठिं०
बागेश्वर।

प्रारूप-1

Mr. K.K.Tilara (**Executive Engineer**) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Phaitan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km)** of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Institution name/designation)



अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०निठवी०,
बागेश्वर।

परियोजना का नाम- वनपद बागेश्वर के विनास रकम के लिए रुपयोग में घेठाड़ दारलिंग
रखाती गोव नाभीसेरा से मन्त्रेला तक १.५० मो. मार्गिन,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारसिंह

तहसील का नाम दुर्गनाचुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 0.90 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.90 हेतु वन पंचायत भूमि 3.150 हेतु) अर्थात कुल 4.950 हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारसिंह द्वारा दिनांक 10-7-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दारसिंह के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

हो/-

कृष्ण/रमेश

सरपंच

वन पंचायत
ग्राम सचिवकार्यालय
विकास खण्ड-अधिकारी
जिला-बागेश्वर

हो/-

Dinesh Singh

ग्राम पंचायत दारसिंह
विंख०-कपकोट, जिला बागेश्वर
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम- जनपद लोगोंस्वर के विनास रवाना कपकोट में चैनड-दाराचि
रवातीगांव नावीसेता से भलोला तक १.५० मो. माप
का नियमि

प्रपत्र- 23

दिनांक 18-7-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दारिंद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
१	बलादी वार्ड	मुख्यमंत्री
२	भूपाल राम	BP
३	दनी राम	दनीराम
(४)	वदाकुरराम	वदाकुरराम
(५)	जयपालीसह झाकरोड़ी	जयपालीसह
(६)	चंपीमह - do	चंपीमह
(७)	Krishnam	krishnam
(८)	Bhutwal	Bhutwal
(९)	जिनालीला	जिनालीला
(१०)	विष्णुनाथ	विष्णुनाथ
(११)	राम	राम
(१२)	दधात राम	दधात राम
(१३)	लल्लीत राम	लल्लीत राम
(१४)	द्वनाशद	द्वनाशद

2011.9.2

三

वन विजयी तथा
विजयी देवी
देवी-साम्राज्य

रु. ५०/- Reewan Singh
विद्यालय ग्राम प्रधान
विठ्ठलपेट, विठ्ठलपेट

पारंपरिक वनों का नाम— जेनपद बागेश्वर के विनास रवृष्टि कपकोट में घेवड़ दारासिंह खातीगाँव नावीसेरा से भञ्जोला तक १.५० मो. मार्ग का निमित्ति,

प्रपत्र— 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होराली

तहसील का नाम दुग्नाली, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि १७ हेठो सिविल सोयम भूमि ०.१७ हेठो वन पंचायत भूमि ३.१५ हेठो) अर्थात कुल ४.१५ हेठो वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुग्नाली द्वारा दिनांक १९-९-१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम होराली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

हेठो

हेठो

ग्राम सचिव
द्वितीय पंचायत होराली नाथी से,
पोस्ट-होराली जिला-बागेश्वर
उत्तरांचल - २६०५३४

ग्राम प्रधान

माली हैरी
प्रधान

ग्राम पंचायत होराली
७०५०-कपकोट जिला-बागेश्वर

परिकोस्ता का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास रवांडा रूपनेट में पैलाड
दारसिंह रवाती गांव नाभीसेरा से भन्नोला तक
१.५० मो. मार्ग ना निमग्नि

प्रपत्र- 23

दिनांक १९-७-१५ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत द्वोराली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रभापाधि द्विवेदी	Signature
2-	माधवनाथ बुद्ध	Signature
3	बलवाल नाथ शर्मा	
4	उकाश लाल हाटा	Balawala B
5	-मिठा सिंह	Signature
6	माल राज	Signature
7	मुकुल लाल हाटा	Balawala
8	मुख्य लाल हाटा	Signature
9	गोकुल अधिकारी	Signature
10	देवपाल भट्टे	Signature
(11)	धर्मालय	Signature

ह०/-

ग्राम प्रधान

प्राप्ति हेव

प्रधान

आम पञ्चायत होराती

१०५०-कपकोट जिला-बांग्लादेश

०८४८ पंचायत होराली नाथीरे
पास्ट-होराली, जिल-बांद्रा, द्वर
उत्तराचल - २६७३४

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विनासु रवण्डु कपकोट में पैठा-
दारसिद्ध रबातीगाव नावीसेरा से भन्तेला तक १०८०
मों मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पैठा

तहसील का नाम दुर्गनाथ, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि १०० हेतु सिविल सोयम भूमि ०.९०० हेतु वन पंचायत भूमि ३.१५०
.... हेतु) अर्थात कुल ४.९५० हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुर्गनाथ द्वारा दिनांक २-९-१५ को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम पैठा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

हो/- Shankar.


प्रधान
ग्राम पंचायत बोर्ड निवासी
न् दुर्गनाथ, दिल्ली राज्य

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास रखण्ड कपड़ोट में ऐवाइ-दस्टी
रवाकीगाँव नावीसेरा से भन्तोला तक १.५० मो. मार्ग
का निर्माण।

प्रपत्र- 23

दिनांक ९-३-१५ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत घोषणा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	बागारपा देवी	बागारपा देवी
2	शेर राम	शेर राम
3	जोगाराम	जोगाराम
4	श्रवा देवी	श्रवा देवी
5	रमराम	रमराम
6	आनन्द प्रसाद	आनन्द प्रसाद
7	कुमुद प्रसाद	कुमुद प्रसाद
8	जनेन राम	जनेन राम
9-	जोगाराम	जोगाराम
10-	बदाराम	बदाराम
(11)	रमराम	रमराम
12	यशवंत देवी	यशवंत देवी
13	दीनदेवी	दीनदेवी
14	Balwant Singh	Balwant Singh
15	मनपरवी	मनपरवी
16	Shankar	Shankar
17	कुलाल देवी	कुलाल देवी
18	कुलार सुद महारा	कुलार सुद महारा
19	मनहा	मनहा
20	मानुली देवी	मानुली देवी

हो/- ग्राम पंचायत सोबत विनासी
देव कपड़ोट, जिला बालोला
ग्राम प्रधान

Shankar.

प्रपत्र-23
परियोजना नाम - जनपद बागेश्वर के विनास रबफ्ट कंफोट से
पैड़ाड़ - दारसिंह स्थानीयों नाबी सेरा से
मन्तोला तक १.५० मी. मार्ग का निर्माण,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भन्नोला
तहसील का नाम लालोड़ी जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि १०.७५ हेतु सिविल सोयम भूमि ०.९० हेतु वन पंचायत भूमि ३.१५०
.... हेतु) अर्थात कुल ४.९५० हेतु वनभूमि का लोनिविं कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भन्नोला दिनांक २१-९-१५ को
सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम भन्नोला के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लोनिविं कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

हो/-

हो/-

ग्राम सचिव

सरपंच/सचिव २०१२/८८

ग्राम वन अधिकारी भन्नोला

जिला बागेश्वर

२८/१२/२०१८

ग्राम प्रधान

अमृता देवी

ग्राम पंचायत असोखाला

२० का कपकोट (आवेदन)

प्रपत्र - २३

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास रबड़ कॉम्पनी में चेन्नई - दारसिद्ध
रवातीगोंद नावीसेरा से भन्तोला तक १५० मी. मार्ग
का सिमाणि,

दिनांक २१-७-१५ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मन्तोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उमस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
१.	कलारप	
२.	प्रलाप (१/२)	प्रलाप
३.	नवीन ऊर्मा रघु शालराम हीवन राम सुमराजराम विनाद कुमार प्रभा जानी	नवीन रघु शालराम हीवन राम सुमराजराम विनाद कुमार प्रभा जानी
	वल्लभा धनावती-उड़	प्रलाप वल्लभा
	उताप राम	प्रलाप राम
	कौमा-पृष्ठ	
	दरेपानराम	दरेपानराम
	गीत घोशी बंसनी हेवी देखा लोरी राम देवी	
	होसी	

हो/-

ग्राम पंचायत
काले देवी देवी
मुख्य प्रधान
मुख्य प्रधान

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी - बागे २०८
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसूचित वनवासी अधिकारी संघरण - वन
उपखण्ड स्थानीय समिति - बागे २०८

उपखण्ड बागे २०८ विहंड के अन्तर्गत भेटा-वारसि-गाँवीले
वन पंचायत मूमि, अर्थात् गुहा ५.९५० है। वन वासी
निकूल तोड़निवार कफ्की प्रयाकरण एजेन्सी के द्वारा मैलानी दिया गया है।
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी विन अधिकारी की वारसी अदावत
अन्तर्गत उपखण्ड स्थानीय समिति तिहारी दुग्नाकुरी दी दिया 12/09/2015
समन्वय बैठक की वारीवाली का विवरण -

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन विवासी द्वारा अधिकारी की वारी
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्थानीय वन अधिकारी दी दिया
गया है। उप जिलाधिकारी एवं अधिकारी उपखण्ड स्थानीय वन अधिकारी दी दिया
गया है। अवधारणा में आयोजित की गई। बैठक में वारसी दावतों की स्पष्टीकरण दी दिया गया है।

- १- श्री घोटाला द्वारा उपजिलाधिकारी
२- श्री सतेन्द्रनाथ तिपाली प्रम गीव वनवासी
३- श्री कालिन राठोला वनवासी स्थानीय समाजी कल्याण अधिकारी
४- श्री भगवन भट्ट वोडीली द्वारा विकास खण्ड किलोमीटर ५
बनपाद-बागेश्वर

उपखण्ड समिति द्वारा वारसी सदस्यों का बैठक में रकमावधारी दी दिया गया है।
वारसी की अनुमति से बैठक की कार्यवाली वरम नहीं हो। वारसी सदस्यों की विवरण दी दिया गया है।

जनपद बागे २०८ के अन्तर्गत भेटा-वारसि-गाँवीले - वन
बागे २०८ ५.९५० किमी

निकूल राठोला लोक निकूल विकास किलोमीटर
प्रयोगता एजेन्सी के द्वारा मैलानी दिये गये हैं। परम्परागत वनवासी के समक्ष रखा गया। याम समा के अन्तर्गत वनवासी का कोई प्रभाव लिया गया है। भूमि का संबंधित याम समा द्वारा वारसी की वारसी प्रस्तुति में वरिष्ठ प्रस्तुति में वरिष्ठ प्रस्तुति हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाचारी वारी बागे २०८
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की वारी) दी दिया गया है। वन अधिकारी के वारी के प्राविधिक द्वारा है। वनवासी की वारसी सदस्यों की वारसी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दी दिया गया है। वारसी की वारी दी दिया गया है। इस वारी में वारसी एवं वारसी द्वारा अन्यान्य वारी की वारी दी दिया गया है। उपखण्ड स्थानीय वन अधिकारी वारी की वारी दी दिया गया है।

बैठक में सर्वसमति से उपर्युक्त नामों परियोजना के निर्णय का 4.950
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति यक्ति की भव्य।

एक सामाजिक संस्थान अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-लागेश्वर

प्रतिलिपि : लिलाधिकारी

एक सामाजिक संस्थान अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-लागेश्वर

परियोजना के निर्णय का 4.950

उपर्युक्त संस्थान का उपर्युक्त समाज
तहसील - कामोद (गुरुकुरी)
जनपद - कामोद

वामोद

उपर्युक्त संस्थान का उपर्युक्त समाज
तहसील - कामोद (गुरुकुरी)
जनपद - कामोद

Photo copy attached

सहायक अधिकारी
निर्णय खण्ड लो। ५० नि।
कपकोट

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह-खातीगाँव-नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह-खातीगाँव-नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एंजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सङ्क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

P.C.-Attestec
10
संहायक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो० नि० यि०
कपकोट

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

P.C. Attested

निर्माण अधिकारी
कपकोट

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 14/09/2015 at time 3:15 pm at Bageshwar in which application claiming rights in Chachai area measuring 4.950 hect for the Construction of Phaitan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhantola motor road (Length 9.500) in Distt- Bageshwar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 14/09/2015

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
बागेश्वर

P.C Attested

सहायक अधिकारी
निर्माण खण्ड नं० १० नं० ११
कपकोट

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar


Dated... 14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's
No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of
evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes
and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest
proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF
has given certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 hectares of forest and proposed
to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar**
Uttarakhand for Construction of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhantola motor road
(length 9.500) in Bageshwar district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

P.G Attest-ed


Signature

मेरी पांडिया नगर कपकोट
विधायिक सभा संसद भवन
कपकोट

(Bhupal Singh Manral)
District Collector

Seal

जिल्लाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

Dated 14/09/2015

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated... 14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-998 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 4.950 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for Construction of Phaitan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhantola motor road (Length 9.500) in Bageshwar.

further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any . having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Phaitan/Darsingh Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

P.C Attested

संघीय लोक सभा का नियमित
सम्मेलन कार्यपाली

Bhupan Singh Manral
District Collector

Bageshwar
जिल्हा अधिकारी
झागेश्वर

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम — जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड़—दारसिंह—खातीगाँव—नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर बागेश्वर—दोफाड़—धरमधर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है जो बिनाड़ी, पैठाड़, होराली, बुदाला, दारसिंह, राजकीय विद्यालय होराली एवं भन्तोला इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 841 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन—पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरेखण आरक्षित भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मरिजून, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं०-१ इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन बागेश्वर—दोफाड़—धरमधर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 4 नं० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं०-२ इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर—दोफाड़—धरमधर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 9.750 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 5 नं० हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं०-२ को निरस्त कर समरेखण नं०-१ को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० व चौड़ाई 9 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने का दृष्टा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०निं०विध०
कपकोट

समरेखन अभियन्ता
निर्माण खण्ड होलीनिं०विध०
कपकोट


अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०निं०विध०
कपकोट

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग – खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 9.50 कि०मी)

0 0.5 1 1.5 2 Km



1 : 50,000



सहायक अभियन्ता
निर्माण स्थल निर्माण किंवा
कपकाट

अधिकारी अभियन्ता
राजन खण्ड, लो०निर्माण
प्राप्ति


प्रभारीय बनाधिकारी
चाँदेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग – खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 9.50 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km



1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० निर्माण
कपकोट

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० निर्माण
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग – खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 9.50 किमी)

0 0.25 0.50 1.0 Km

Scale - 1:20,000



29°53'0"N

79°56'30"E

79°57'0"E

79°57'30"E

79°58'0"E

79°58'30"E

29°52'30"N

79°56'0"E



79°56'30"E

79°57'0"E

79°57'30"E

79°58'0"E

79°58'30"E



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोगों निःशुल्क
कार्यक्रम

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोगों निःशुल्क
कार्यक्रम


आगामी वार्षिक कार्यक्रम
प्रबन्ध चयन प्रधान, बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग– खातीगांव
नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (बदियाकोट सिविल, क्षेत्र 9.90 है)



0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend

Proposed Plantation 9.90 Ha.

Reserve Forest


Reserve Forest Boundary

प्रभारीय बनायिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग – खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थाल (बदियाकोट सिविल, क्षेत्र – 9.90 हेक्टर)



Scale - 1:3,500



Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Badiyakot_Civil 9.90 Ha.

अधिकारी अधिकारी
निर्माण खण्ड, लोगोनिवित

कामकोट

निर्माण खण्ड, लोगोनिवित

कामकोट

प्रभाव वन विभाग, राजस्थान

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह खातीगाँव नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग।

Muck Disposal Plan

8- Material received from hill side cutting

In km. 1	$0.33*1000*3*(1.1+1.50)/2$	=1287.50 cum
In km. 2	$0.33*1000*3*(2.2+1.10)/2$	=1633.50 cum
In km. 3	$0.33*1000*3*(1.3+2.10)/2$	=1683.50 cum
In km. 4	$0.33*1000*3*(2.00+1.50)/2$	= 1732.50 cum
In km. 5	$0.33*1000*3*(2.10+1.30)/2$	=1683.00 cum
In km. 6	$0.33*1000*3*(3.10+1.10)/2$	=2079.00 cum
In km. 7	$0.33*1000*3*(1.1+1.20)/2$	=1138.50 cum
In km. 8	$0.33*1000*3*(1.5+1.10)/2$	=1287.00 cum
In km. 9	$0.33*1000*3*(1.20+1.10)/2$	=1138.50 cum
In km. 10	$0.33*1000*3*(1.3+2.10)/2$	=841.50 cum
	Total :-	<u>=14504.00 cum</u>
	40% for swell factor :-	<u>=5801.80 cum</u>
	Grand total :-	<u>=20305.80 cum</u>

9- Total material (muck) used in motor Road

During construction approximate 90% of
Total material in RR dry, HP ston filling.
And surface dressing etc.

= 18275.22 cum

10- Balance material (muck) to be deposited in
Muck desposal site. (1-2 above)

= **2030.58 cum**

11- Cost of cartage balance muck upto dumping site

2030.58 cum @ Rs. 55.00/cum. = Rs. 111681.90

12- Location and capacity of muck dumping yard.

(e) Construction of RR dry wall including
Supply of all materials, labour and T & P
Etc. required for proper completion of the
Work as per PWD detailed specification

Location	Size of dumping yard	QTY (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard
In km 1	1x30x1.50x3.0	=135.00	Nap Land	270.00 cum
In km 2	1x28x2.00x2.00	= 112.00	Nap Land	224.00 cum
In km 3	1x32x2.50x2.0	=160.00	Nap Land	320.00 cum
In km 4	1x80x1.5x2.0	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 5	1x35x1.50x2.50	=131.25	Nap Land	224.00 cum
In km 6	1x28x2.00x1.50	=84.00	Nap Land	168.00 cum
In km 7	1x32x2.00x1.50	=96.00	Nap Land	192.00 cum
In km 8	1x28x1.50x2.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 9	1x35x2.00x1.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
Total:-		= 1033.25		= 2028 cum

(f) Total cost of construction of dumping

Yard 1275 cum @ 330.00 per cum. **= Rs.591442.50**

13- Total Cost of muck disposal plan. (4+5 (b))

=Rs 703124.40


14- Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of motor road plantation will be made by the forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.



संसाधन अभियन्ता
निर्माण खण्ड लाभ नियोजित
कापकोट



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नियो०
कापकोट



निर्माण वर्क्स लिमिटेड
 कापकोट

अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०निर०पि०.
 कापकोट

सहमती प्रमाण पत्र

सर्व सहमति से जनपद बागेश्वर में के अन्तर्गत पोठण दारसिंग नाथिसेरा भन्तोला मिलान मोटरमार्ग ने मार्ग कटिंग हेतु मार्ग के दाये ओर बाये ओर पड़ने वाले नाप भूमी मे मक को रखने हेतु हम अपनी नाप भूमी कों देनी के लिये तैयार हू इसमें विभागी दरो पर हो भी मुआवजा बनेगा उसमें हम सभी भूमी धर सहमत हैं

ग्राम सभा का नाम पोठण / दारसिंग / नाथिसेरा / भन्तोला

कास्तकार का नाम

1 जोगासिंह	<u>गोगा सिंह</u>
2 मादोसिंह	<u>मादो सिंह</u>
3 हरीशसिंह	<u>हरीश सिंह</u>
4 दयालसिंह	<u>दयाल सिंह</u>
5 जगदीशसिंह	<u>जगदीश सिंह</u>
6 दीवानसिंह	<u>दीवान सिंह</u>
7 घबलसिंह	<u>घबल सिंह</u>
8 जीवनसिंह	<u>जीवन सिंह</u>
9 दीवानसिंह	<u>दीवान सिंह</u>
10 दानसिंह	<u>दान सिंह</u>
11 लछमसिंह	<u>लछम सिंह</u>
12 दिवानसिंह	<u>दिवान सिंह</u>
13 हरेन्द्रसिंह	<u>हरेन्द्र सिंह</u>
14 आनन्दसिंह	<u>आनन्द सिंह</u>
15 प्रतापसिंह	<u>प्रताप सिंह</u>
16 नरेन्द्रसिंह	<u>नरेन्द्र सिंह</u>
17 सोबनसिंह	<u>सोबन सिंह</u>
18 रमेशचन्द्र	<u>रमेशचन्द्र</u>

मुमुक्षु विभाग
मुमुक्षु विभाग

(1)

3

रकवा	खसरा न०	खाता स०	खसरा न०	रकवा	खाता स०
0.0110	4182	37	4184	0.0100	37
0.0180	4189	37	4647	0.0150	37
0.0090	4648	39	4706	0.0210	39
0.0290	4649	39	4707	0.0330	39
0.0280	4652	39	4708	0.0150	39
0.0500	4653	39	4709	0.0180	39
0.0150	4654	39	4712	0.0250	39
0.0460	4655	39	4715	0.0180	39
0.0300	4556	39	4722	0.0160	39
0.0110	4657	39	4723	0.0180	39
0.0150	4658	39	4727	0.0200	39
0.0100	4660	39	4729	0.0240	39
0.0110	4661	39	826	0.0630	25
0.0180	4665	39	2881	0.0080	25
0.0140	4666	39	2882	0.0080	25
0.0130	4668	39	2890	0.0100	25
0.0210	4670	39	2891	0.0100	25
0.0260	4671	39	2911	0.0100	25
0.0260	4672	39	2913	0.0090	25
0.0100	4675	39	2924	0.0090	25
0.0100	4676	39	2928	0.0140	25
0.0260	4680	39	2930	0.0090	25
0.0150	4682	39	2931	0.0160	25
0.0210	4684	39	2933	0.0090	25
0.0160	4685	39	2934	0.0160	25
0.0160	4687	39	2935	0.0160	25
0.0160	4689	39	2936	0.0160	25
0.0310	4690	39	2937	0.0110	25
0.0250	4692	39	2938	0.0130	25
0.0280	4693	39	3760	0.0110	25
0.0100	4696	39	5574	0.0140	25
0.0330	4697	39	5582	0.0140	25
0.0410	4698	39	5584	0.0210	25
0.0110	4703	39	5585	0.0250	25
0.0100	4704	39	5587	0.0090	25
0.0410	4705	39	5588	0.0090	25
0-774				0-573	

38 रुपये

अधिक कुलनपश्चि 2-54 रुपये

मुद्रा 1 रुपये

28 रुपये

(1)

0.0130	5598	25	5952	0.0200	1
0.0080	5675	25	1173	0.0300	53
0.0100	787	1	1188	0.0110	53
0.0180	1110	1	1194	0.0090	53
0.0100	1111	1	1201	0.0250	53
0.0160	1181	1	1210	0.0250	53
0.0300	1244	1	1216	0.0130	53
0.0290	1245	1	1224	0.0180	53
0.0190	1246	1	1376	0.0160	53
0.0110	1251	1	1377	0.0250	53
0.0200	2554	1	1378	0.0230	53
0.0300	2821	1	1379	0.0310	53
0.0110	2839	1	1388	0.0210	53
0.0100	2855	1	1389	0.0150	53
0.0130	2860	1	3225	0.0260	53
0.0100	2861	1	3226	0.0130	53
0.0130	2862	1	3227	0.0310	53
0.0110	2867	1	3228	0.0090	53
0.0100	3027	1	3229	0.0110	53
0.130	3099	1	3262	0.0100	53
0.140	3101	1	3281	0.0090	53
0.0200	3102	1	3555	0.0150	53
0.0110	3219	1	3948	0.0160	53
0.0160	3238	1	3949	0.0200	53
0.0150	3452	1	3950	0.0180	53
0.0180	3458	1	3951	0.0150	53
0.0100	3693	1	4121	0.0110	53
0.0100	3694	1	4124	0.0100	53
0.0160	3722	1	4388	0.0140	53
0.0110	3800	1	4392	0.0200	53
0.0130	3820	1	4397	0.0150	53
0.0110	3821	1	4399	0.0100	53
0.0130	3939	1	4405	0.0100	53
0.0110	3947	1	4408	0.0140	53
0.0110	4666	1	4410	0.0110	53
0.0100	4469	1	4546	0.0100	53
0.0100	4624	1	4548	0.0100	53
0.0090	5944	1	4550	0.0090	53
0.0160	5947	1	4551	0.0140	53
0-563	28 नवं		0-618	28 नवं	33 नवं

पुस्तकालय सेवा २५४ दीर्घे

मुख्य प्रबन्धक
मुख्य प्रबन्धक

11